RISING RAJASTHAN

Azadi Ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 17 / 2025 **GCMS 2025/104**

अपीलांटगण–

1. श्री माधोसिंह पुत्र श्री छगनाजी जाति राजपुरोहित निवासी कालूड़ी, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. श्री धनसिंह पुत्र छगनाजी फौत के कायम मुकाम
   - 1.1 गोविन्द सिंह पुत्र धनसिंह
   - 1.2 नरेशसिंह पुत्र धनसिंह
   - 1.3 जगदीशसिंह पुत्र धनसिंह
   - 1.4 पूर्णसिंह पुत्र धनसिंह
2. श्री डाउसिंह पुत्र छगनाजी
3. श्री पन्नेसिंह पुत्र छगनाजी
4. श्री निम्बसिंह पुत्र श्री छगनाजी
5. श्रीमती मैथीदेवी बेवा श्री छगनाजी जातियान राजपुरोहित, निवासीयान कालूड़ी, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।
6. श्री राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार जसोल।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 431 दिनांक 25.08.2008 जो उप तहसीलदार जसोल द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री ओमप्रकाश डाबी, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पोडेंटगण संख्या 1 ता 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 29.04.2026

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत मौजा कालूडी, तहसील पचपदरा मे संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नंबर 39 रकबा 215 बीघा 05 विस्वा, खसरा नंबर 40 रकबा 289 बीघा 02 बीघा, खसरा नंबर 105 रकबा 170 बीघा 05 विस्वा, खसरा नंबर 107 रकबा 73 बीघा 02 विस्वा,

न्यायालय जिला कलक्टर बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा

खसरा नंबर 108 रकबा 303 बीघा 03 विस्वा, खसरा नंबर 38 रकबा 123 बीघा 02 विस्वा व खसरा नंबर 109 रकबा 71 बीघा 09 विस्वा भूमि का नामान्तरकरण 431 पर उप तहसीलदार जसोल द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 25.08.2008 के विरूद्ध दिनांक 07.06.2025 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा कालूडी तहसील पचपदरा मे संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नंबर 39 रकबा 215 बीघा 05 विस्वा, खसरा नंबर 40 रकबा 289 बीघा 02 बीघा, खसरा नंबर 105 रकबा 170 बीघा 05 विस्वा, खसरा नंबर 107 रकबा 73 बीघा 02 विस्वा, खसरा नंबर 108 रकबा 303 बीघा 03 विस्वा, खसरा नंबर 38 रकबा 123 बीघा 02 विस्वा व खसरा नंबर 109 रकबा 71 बीघा 09 विस्वा भूमि अवस्थित है। उक्त खसरान भूमि सरहद कालूड़ी, पटवार हल्का कालूड़ी का उपतहसीलदार जसोल के आदेश कमांक/भू.अ./2008/38 दिनांक 30.06.2008 की अनुपालना में एवं ना.क.सं. 428 के आधार पर हल्का पटवारी कालूड़ी द्वारा नामान्तरणकरण खोला गया व उप तहसीलदार जसोल द्वारा दिनांक 25.08.2008 को नामान्तरणकरण संख्या 431 को स्वीकृत किया गया। उप तहसीलदार समदड़ी द्वारा पारित आदेश 25.08.2008 के विरूद्ध यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। इस अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने का निवेदन किया हैं।

3. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं आलोच्य अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. रेस्पोडेंटगण संख्या 1 ता 05 को जारी नोटिस रजिस्टर्ड डाक से तामील नोटिस प्राप्त हुए, लिहाजा रेस्पोडेंटगण संख्या 1 ता 05 की तलबी पूर्ण। रेस्पोडेंटगण बावजूद सूचना दौराने बहस/सुनवाई अनुपस्थित रहे।

5. अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने दौराने बहस एवं लिखित बहस यह कथन किया कि मौजा कालूडी तहसील पचपदरा मे संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नंबर 39 रकबा 215 बीघा 05 विस्वा, खसरा नंबर 40 रकबा 289 बीघा 02 बीघा, खसरा नंबर 105 रकबा 170 बीघा 05 विस्वा, खसरा नंबर 107 रकबा 73 बीघा 02 विस्वा, खसरा नंबर 108 रकबा 303 बीघा 03 विस्वा, खसरा नंबर 38 रकबा 123 बीघा 02 विस्वा व खसरा नंबर 109 रकबा 71 बीघा 09 विस्वा स्थित है। उपरोक्त वर्णित खसरान की भूमि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट सं. 1 ता 4 की संयुक्त खातेदारी की मौरूसी कृषि भूमि है, जिसमे बतौर सह खातेदार राजस्व रेकर्ड में अपीलांट एवं

जिला कलक्टर
बालोतरा

रेस्पोडेंट सं. 1 ता 4 के पिता एवं रेस्पोडेंट संख्या 5 के पति छगना पुत्र दला का नाम सह खातेदार के रुप मे दर्ज था। अपीलांट व रेस्पोडेंट सं. 1 ता 4 तथा रेस्पोडेंट संख्या 5 के पति छगना पुत्र दला का स्वर्गवास दिनांक 24.02.2008 में हुआ। स्वर्गीय छगनाजी पुत्र दलाजी के वारिसान का सजरा खानदान अपील में अंकित है। प्रचलित हिन्दू विधि के अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जो कि 17 जून 1956 से प्रभाव में आया है, के अंतर्गत हिन्दू पुरुष और स्त्री की बिना वसीयत किये संपति छोडकर फौत होता है, तो हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार उनके उतराधिकारीयो को संपति मिलेगी। धारा 3 (च) के अनुसार वारिस से तात्पर्य ऐसी किसी पुरुष या स्त्री व्यक्ति से है जो निर्वसीयती मृतक की संपति का उतराधिकार होने के लिए हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के अधीन अधिकारी है, जब कोई हिन्दू पुरूष–स्त्री या उन पुरूषों या स्त्रीयों को दी जायेगी, जो इस अधिनियम के अंतर्गत मृतक के वारिस होंगे। अपीलांट एवं रेस्पोडेंट सं. 1 से 4 व रेस्पोडेंट सं. 5 मृतकं छगनाजी के प्रथम श्रेणी के वारिस उतराधिकारी है। तत्कालीन हल्का पटवारी कालूडी द्वारा मृतक छगना का फौतगी म्युटेशन सं. 431 खोलने से मृतक खातेदार छगना पुत्र दला के वारिसान बाबत कोई जांच नही की तथा न ही उप तहसीलदार जसोल ने म्यूटेशन पारित करने से पूर्व मृतक खातेदार छगना के वारिसान के बाबत कोई जांच पडताल की, न ही मृतक छगना के वारिसान को नोटिस देकर सुनाया गया तथा आलौच्य म्यूटेशन प्रविष्ठि सं. 431 दिनांक 25.08.2008 को स्वीकृत किया गया। आलौच्य म्यूटेशन एकांकी (one act paly) तौर से मनमर्जी से प्राकृतिक न्याय सिद्धांतो (Natural Law of Justice) एवं ऑडी, अल्टरम पार्टम (Audi alteram Partem for a fair hearing) के सिद्धांत की घोर अवहेलना करके स्वीकृत किया गया है। सरहद मौजा कालूडी के खेत खसरा नंबर 39 रकबा 34. 8434 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 40 रकबा 46.7978 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 105 रकबा 27.5590 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 107 रकबा 11. 8330 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 108 रकबा 49.0721 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम मे छगना के फौतगी म्युटेशन प्रविष्ठि सं. 428 को सही रुप से स्वीकृत किया गया था, जिसमे मृतक छगना के वारिसान का सही अंकन किया गया है लेकिन उक्त म्युटेशन प्रविष्ठि में अपीलांट एवं रेस्पोडेंट सं. 1 ता 5 के नाम दर्ज है किन्तु म्युटेशन प्रविष्ठि सं. 431 दिनांक 25.08.2008 में अपीलांट का नाम जानबुझकर दर्ज नहीं किया गया है, जो सरासर गलत, मनमाना एवं लापरवाहपूर्ण कृत्य है जिसके कारण अपीलांट का नाम खेत खसरा नंबर 38 रकबा 19.9267 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम व खसरा नंबर 109 रकबा 11.6306 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम मे दर्ज होने से रह गया। आलौच्य म्यूटेशन अपीलांट की

जिला कलक्टर
बालोतरा

पीठ पीछे अपीलांट को सुने बिना, खोला जाकर स्वीकृत किया गया है जो आरम्भ से अवैध व शुन्य (वोईड एब इन्श्यो) है। ऐसे अवैध व शुन्य आदेश को किसी भी वक्त चुनौति दी जा सकती है, ऐसे आदेश को चुनौति देने हेतु म्याद का बिन्दु आडे नहीं आता है। आलौच्यं म्यूटेशन का ज्ञान अपीलांट द्वारा दिनांक 04.06.2025 को नकल प्राप्त होने पर प्रथम बार हुआ, जिससे अपील अन्दर म्याद है, फिर भी रफाए हजुअत देरी माफी हेतु अपील के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम का साथ पेश है। आलौच्य म्यूटेशन पारित करने मे कानून एवं न्याय की खुली अवहेलना की गयी है जिससे आलौच्य म्यूटेशन काबिल निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट को उक्त आलोच्य म्युटेशन भरने पर किसी भी प्रकार नोटिस या सूचना नहीं देने के कारण व अपीलांट को हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 से वंछित रहने से आपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार फरमाई जाकर म्युटेशन प्रविष्ठि सं. 431 दिनांक 25.08.2008 को जो छगना पुत्र दला की फौतगी पश्चात् उनके वारिसान/उतराधिकारीयो के नाम भरा गया, को निरस्त/अपास्त फरमावे एवं नये सिरे से सही म्युटेशन दर्ज की जावे।

6. रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 5 को जारी नोटिस रजिस्टर्ड नोटिस जो तामिल पूर्ण होने के बावजुद भी दौराने बहस अनुपस्थित रहे। रेपोडेंट संख्या 1 ता 5 को इस प्रकरण के अपील में अपीलांट द्वारा उल्लेखित तथ्यों एवं आधारों पर अपना जवाब/बहस कथन प्रकट करने हेतु सम्यक अवसर प्रदान किया गया। इसके बावजूद रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 5 न तो स्वयं उपस्थित हुए और न ही किसी अधिवक्ता के माध्यम से कोई जवाब या आपत्ति प्रस्तुत की। इससे यह प्रतीत होता है कि रेस्पोडेंटगण को अपीलांट के दावों पर कोई आपत्ति नहीं है। इस हेतु हस्तगन प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

7. हमने अपीलांट के अधिवक्ता की बहस सुनी, उपरांत बहस पत्रावली का अवलोकन किया व मनन किया तथा अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यो एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया, जिसमें पाया कि मौजा कालूडी तहसील पचपदरा मे संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नंबर 39 रकबा 215 बीघा 05 विस्वा, खसरा नंबर 40 रकबा 289 बीघा 02 बीघा, खसरा नंबर 105 रकबा 170 बीघा 05 विस्वा, खसरा नंबर 107 रकबा 73 बीघा 02 विस्वा, खसरा नंबर 108 रकबा 303 बीघा 03 विस्वा, खसरा नंबर 38 रकबा 123 बीघा 02 विस्वा व खसरा नंबर 109 रकबा 71 बीघा 09 विस्वा भूमि अवस्थित है। म्युटेशन संख्या 431 की फर्द का अवलोकन करने पर उपतहसीलदार जसोल के आदेश कमांक/भू.अ./2008/38 दिनांक 30.06.2008 तथा ना.क.सं. 428 के आधार पर हल्का पटवारी कालूड़ी द्वारा उक्त आलोच्य नामान्तरणकरण खोलना बताया गया व उप तहसीलदार जसोल द्वारा दिनांक 25.08.2008 को नामान्तरणकरण संख्या 431 को स्वीकृत होना बताया

जिला कलक्टर
बालोतरा

गया। अपीलांट का मुख्य तर्क है कि उसके पिता छगनलाल की मृत्यु के पश्चात उनकी कृषि भूमि खसरा संख्या 39, 40, 105, 107, 108 का फौतगी म्यूटेशन संख्या 428 सरपंच द्वारा भरा गया, जिसमें अपीलार्थी माधोसिंह को अन्य भाइयों के साथ वैध वारिस माना गया है, परंतु मृतक छगनलाल की ही अन्य भूमि खसरा संख्या 38 व 109 हेतु उप–तहसीलदार जसोल द्वारा भरे गए म्यूटेशन संख्या 431 (दिनांक 28.08.2008) में अन्य वारिसान (धनसिंह, डाउसिंह, पन्नेसिंह, निम्बसिंह व मैथी देवी) के नाम तो दर्ज किए गए, किंतु अपीलार्थी माधोसिंह का नाम नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि म्यूटेशन संख्या 428 में अपीलार्थी माधोसिंह को छगनलाल का वैध वारिस मानकर नाम दर्ज किया जा चुका है। अतः एक ही मृतक (छगनलाल) की अन्य भूमि (खसरा 38, 109) के म्यूटेशन संख्या 431 (दिनांक 28.08.2008) में उसे वारिस न मानना राजस्व रिकॉर्ड की स्पष्ट लिपिकीय एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम एवं राजस्व विधियों के अनुसार, पिता की मृत्यु के पश्चात सभी संतानों का उनकी संपत्ति में बराबर का हक स्वतः उत्पन्न हो जाता है। चूंकि म्यूटेशन संख्या 428 में अपीलार्थी को पुत्र मानकर वारिस दर्ज किया जा चुका है। अतः यह सिद्ध है कि वह मृतक छगनलाल का वैध उत्तराधिकारी है। म्यूटेशन संख्या 431 में अपीलार्थी का नाम न होना एक (Omission) है, जिसे सुधारा जाना न्यायसंगत है। अतः एक ही व्यक्ति की भिन्न–भिन्न संपत्तियों के लिए वारिसों की सूची में भिन्नता होना न्याय के सिद्धांतों के विपरीत एवं प्रथम दृष्टया (Prima facie) त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। इस प्रकार आलोच्य म्युटेशन को यथावत रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील एकपक्षीय आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार जसोल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि उक्त आलोच्य म्युटेशन के समस्त पक्षकरों की जांच कर ले एवं नियमानुसार यदि अपीलांट माधोसिंह का हिस्सा बनना पाया जाता है, तो पक्षकारो को सुनवाई का अवसर देते हुए नवीन म्युटेशन दर्ज करने की कार्यवाही करें।

9. निर्णय आज दिनांक 29.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर, बालोतरा